सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 519 दर्ज तिथिः—21.11.2024

1. पदमी देवी पत्नी गोमाराम
   जाति जाट निवासी नई डाबली ग्राम पंचायत बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी
   .....वादी

बनाम

1. चनणाराम पुत्र मानाराम
2. पुखराज पुत्र मानाराम
3. अमियों पत्नी मानाराम
4. कानाराम पुत्र चिमना
5. खंगारा पुत्र चिमना
6. गेना पुत्र चिमना
7. देवा पुत्र चिमना
8. सता पुत्र चिमना
9. गोमाराम पुत्र पूराराम
10. मोहनलाल पुत्र पूराराम
11. चेतन पुत्र भीखा
12. पेमाराम पुत्र भीखाराम
13. रिड़मलराम पुत्र भीखाराम फौत कायम मुकाम के वारिशान
    13 / 1 धर्मी पुत्री रिड़मलराम
    13 / 2 कानू पुत्री रिड़मलराम
    13 / 3 कालूराम पुत्र रिड़मलराम
    13 / 4 दिनेश पुत्र रिड़मलराम
    13 / 5 तारी पुत्री रिड़मलराम
    13 / 6 खुशबू पुत्री रिड़मलराम(प्रतिवादी 13 / 4, 13 / 5 व 13 / 6 नाबालिक जरीये वलिया माता टीपूदेवी पत्नी रिड़मलराम)
    13 / 7 टीपूदेवी पत्नी रिड़मलराम
14. स्व0 नेनू पत्नी भीखाराम फौत कायम मु0 वारिशान प्रतिवादी संख्या 11 से 13 कायम मु0 वारिशान
15. चिमनाराम पुत्र रूपाराम
16. धनाराम पुत्र रूपाराम
17. फूसाराम पुत्र रूपाराम
18. मांगाराम पुत्र ताजाराम
19. वीरमाराम पुत्र ताजाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

20. खेतू पत्नी ताजा, प्रतिवादीगण सभी बालिंग जातियान कुम्हार(प्रजापति) साकिन बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री हरीशचन्द्र चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—09.02.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 129/4.3301 है0 वाके ग्राम बेरीगांव पटवार हल्का बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 6, 7, 9 से 11, 13/4 से 13/7, 15 एवं 18 से 20 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हाजिर हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी में पर हम प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा आया हुआ है एवं उसी अनुसार वहामी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारा के आधार पर मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। काबिज काश्त अनुसार बंटवारा किया जावे।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—
   1. आया वादी मुतनाजा संयुक्त आराजी पर हाल राजस्व रिकार्ड दर्ज 9/160 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणा जारी करवाने का अधिकारी है।

      .....वादी
   2. आया वादी मुतनाजा संयुक्त आराजी पर हाल राजस्व रिकार्ड दर्ज 9/160 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणा जारी करवाने के आधार पर खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

      .....वादी
   3. आया वादी संयुक्त आराजी पर खाता विभाजन के पश्चात् विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

      .....वादी
   4. आया मुतनाजा संयुक्त आराजी पर वादी के हाल राजस्व रिकार्ड दर्ज 9/160 हिस्सा के स्थान पर 1/20 हिस्सा दर्ज किया उचित है।

      ..... प्रतिवादी संख्या 09—10
   5. आया प्रतिवादी संख्या 09—10 मुतनाजा संयुक्त आराजी पर 1/4 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणा जारी करवाने का अधिकारी है।

      ..... प्रतिवादी संख्या 09—10
   6. आया प्रतिवादी संख्या 09—10 मुतनाजा संयुक्त आराजी पर 1/4 हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कब्जे अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

      ..... प्रतिवादी संख्या 09—10
   7. आया प्रतिवादी संख्या 09—10 खाता विभाजन के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

      ..... प्रतिवादी संख्या 09—10
   8. अन्य दादरसी

      .....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में तनकी संख्या 01 तथा 04—05 एक समान होने के कारण एक साथ निर्णयन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा निवेदन किया है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 9/160 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि वादी द्वारा उक्त आराजी में 1/20 हिस्से की आराजी जरिये पंजीबद्ध बयनामा खरीद की है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा वादी का संयुक्त आराजी में 1/20 हिस्से के स्थान पर 9/160 हिस्सा दर्ज कर दिया। उक्त गलती दुरूस्ती योग्य है। इस प्रकार वादी का संयुक्त आराजी में 1/20 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन किया जावे। प्रतिवादी के उक्त अभिकथन पर वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई। इस प्रकार तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 09—10 के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में तनकी संख्या 02 तथा 06 एक समान होने के कारण एक साथ निर्णयन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में उक्त विभाजन की तनकीयात पर दिनांक 05.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2016 दिनांक 31.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2016 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 27.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3224—3246 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3224—3246 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 129/4.3301 है0 वाके ग्राम बेरीगांव पटवार हल्का बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवष्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 व 07 का निर्णयन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिवादी प्रतिदावा अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 129/4.3301 है0 वाके ग्राम बेरीगांव पटवार हल्का बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
चिमनाराम पुत्र रूपाराम गेनाराम पुत्र चिमनाराम कानाराम पुत्र चिमनाराम खंगाराराम पुत्र चिमनाराम देवाराम पुत्र चिमनाराम सताराम पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार	205 / 249 44 / 1245 44 / 1245 44 / 1245 44 / 1245 44 / 1245	बेरीगांव बेरीगांव	127 129	0.0243 है0 0.9966 है0	गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.0209 है0					
मोहनलाल पुत्र पुराराम गोमाराम पुत्र पुराराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1 / 2 1 / 2	बेरीगांव	126 129	0.0486 है0 1.0339 है0	गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.0825 है0					
गोमाराम पुत्र पुराराम मोहनलाल पुत्र पुराराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	721 / 1586 865 / 1586	बेरीगांव	229	0.6344 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6344 है0					
धनाराम पुत्र रूपाराम फूसाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	578 / 659 81 / 659	बेरीगांव	129	0.4613 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.4613 है0					
पदमीदेवी पत्नी गोमाराम जाति जाट सा0 नई डाबली खातेदार	पूर्ण	बेरीगांव	129	0.2165 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2165 है0					
फूसाराम पुत्र रूप रूपाराम सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बेरीगांव	129	0.3480 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3480 है0					
वीरमाराम पुत्र ताजाराम मांगाराम पुत्र ताजाराम खेतुदेवी पत्नी ताजाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1 / 3 1 / 3 1 / 3	बेरीगांव	129	0.3480 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3480 है0					
चेतन पुत्र भीखाराम पेमाराम पुत्र भीखाराम चनणाराम पुत्र मानाराम पुखराज पुत्र मानाराम अमियोदेवी पत्नी मानाराम	451 / 1543 190 / 1543 451 / 4629 451 / 4629 451 / 4629	बेरीगांव	129	0.9258 है0	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

कालूराम पुत्र रिड़मल दिनेश पुत्र रिड़मल तारी पुत्री रिड़मल खुशबु पुत्री रिड़मल टीपू पत्नी रिड़मल जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	451 / 7715 451 / 7715 451 / 7715 451 / 7715 451 / 7715				
कुल किता 01 रकबा 0.9258 है0					
चेतन पुत्र भीखाराम पेमाराम पुत्र भीखाराम चनणाराम पुत्र मानाराम पुखराज पुत्र मानाराम अमियोदेवी पत्नी मानाराम कालूराम पुत्र रिड़मल दिनेश पुत्र रिड़मल तारी पुत्री रिड़मल खुशबु पुत्री रिड़मल टीपू पत्नी रिड़मल जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1 / 4 1 / 4 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20	बेरीगांव	229	0.2883 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2883 है0					
धनाराम पुत्र रूपाराम चिमनाराम पुत्र रूपाराम फूसाराम पुत्र रूपाराम गोरखाराम पुत्र गिरधारीराम वालाराम पुत्र गिरधारीराम भीमाराम पुत्र गिरधारीराम ओमाराम पुत्र गिरधारीराम रम्भा पत्नी गिरधारीराम जस्सी पुत्री तगाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24	बेरीगांव	229	0.2307 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2307 है0					
दलाराम पुत्र आसुराम पेमाराम पुत्र आसुराम जाति गुरूड़ा सा0 देह खातेदार	1 / 3 1 / 3 1 / 3	बेरीगांव	229	1.1533 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.1533 है0					
विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 के ग्राम बेरीगांव में खसरा संख्या 129 रकबा 4.3301 है0 (जो प्रारम्भिक डिक्री में उल्लेखित) खसरा संख्या 229 रकबा 2.3067 है0, 126 रकबा 0.0486 है0 व 127 रकबा 0.0324 है0 (जो प्रारम्भिक डिक्री में उल्लेख नहीं परन्तु विभाजन में शामिल किया गया है) कुल चार खसरा हैं।					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 519 दर्ज तिथिः—21.11.2024

1. पदमी देवी पत्नी गोमाराम
   जाति जाट निवासी नई डाबली ग्राम पंचायत बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.....वादी

बनाम

1. चनणाराम पुत्र मानाराम
2. पुखराज पुत्र मानाराम
3. अमियों पत्नी मानाराम
4. कानाराम पुत्र चिमना
5. खंगारा पुत्र चिमना
6. गेना पुत्र चिमना
7. देवा पुत्र चिमना
8. सता पुत्र चिमना
9. गोमाराम पुत्र पूराराम
10. मोहनलाल पुत्र पूराराम
11. चेतन पुत्र भीखा
12. पेमाराम पुत्र भीखाराम
13. रिड़मलराम पुत्र भीखाराम फौत कायम मुकाम के वारिशान
    13 / 1 धर्मी पुत्री रिड़मलराम
    13 / 2 कानू पुत्री रिड़मलराम
    13 / 3 कालूराम पुत्र रिड़मलराम
    13 / 4 दिनेश पुत्र रिड़मलराम
    13 / 5 तारी पुत्री रिड़मलराम
    13 / 6 खुशबू पुत्री रिड़मलराम(प्रतिवादी 13 / 4, 13 / 5 व 13 / 6 नाबालिक जरीये वलिया माता टीपूदेवी पत्नी रिड़मलराम)
    13 / 7 टीपूदेवी पत्नी रिड़मलराम
14. स्व0 नेनू पत्नी भीखाराम फौत कायम मु0 वारिशान प्रतिवादी संख्या 11 से 13 कायम मु0 वारिशान
15. चिमनाराम पुत्र रूपाराम
16. धनाराम पुत्र रूपाराम
17. फूसाराम पुत्र रूपाराम
18. मांगाराम पुत्र ताजाराम
19. वीरमाराम पुत्र ताजाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

20. खेतू पत्नी ताजा, प्रतिवादीगण सभी बालिंग जातियान कुम्हार(प्रजापति) साकिन बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री हरीशचन्द्र चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिवादी प्रतिदावा अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 129/4.3301 है0 वाके ग्राम बेरीगांव पटवार हल्का बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
चिमनाराम पुत्र रूपाराम गेनाराम पुत्र चिमनाराम कानाराम पुत्र चिमनाराम खंगाराराम पुत्र चिमनाराम देवाराम पुत्र चिमनाराम सताराम पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार	 205 / 249 44 / 1245 44 / 1245 44 / 1245 44 / 1245 44 / 1245	 बेरीगांव बेरीगांव	 127 129	 0.0243 है0 0.9966 है0	 गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.0209 है0					
मोहनलाल पुत्र पुराराम गोमाराम पुत्र पुराराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	 1 / 2 1 / 2	 बेरीगांव	 126 129	 0.0486 है0 1.0339 है0	 गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.0825 है0					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

गोमाराम पुत्र पुराराम मोहनलाल पुत्र पुराराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	721 / 1586 865 / 1586	बेरीगांव	229	0.6344 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6344 है0					
धनाराम पुत्र रूपाराम फूसाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	578 / 659 81 / 659	बेरीगांव	129	0.4613 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.4613 है0					
पदमीदेवी पत्नी गोमाराम जाति जाट सा0 नई डाबली खातेदार	पूर्ण	बेरीगांव	129	0.2165 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2165 है0					
फूसाराम पुत्र रूप रूपाराम सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बेरीगांव	129	0.3480 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3480 है0					
वीरमाराम पुत्र ताजाराम मांगाराम पुत्र ताजाराम खेतुदेवी पत्नी ताजाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1 / 3 1 / 3 1 / 3	बेरीगांव	129	0.3480 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3480 है0					
चेतन पुत्र भीखाराम पेमाराम पुत्र भीखाराम चनणाराम पुत्र मानाराम पुखराज पुत्र मानाराम अमियोदेवी पत्नी मानाराम कालूराम पुत्र रिड़मल दिनेश पुत्र रिड़मल तारी पुत्री रिड़मल खुशबु पुत्री रिड़मल टीपू पत्नी रिड़मल जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	451 / 1543 190 / 1543 451 / 4629 451 / 4629 451 / 4629 451 / 7715 451 / 7715 451 / 7715 451 / 7715 451 / 7715	बेरीगांव	129	0.9258 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.9258 है0					
चेतन पुत्र भीखाराम पेमाराम पुत्र भीखाराम चनणाराम पुत्र मानाराम पुखराज पुत्र मानाराम अमियोदेवी पत्नी मानाराम कालूराम पुत्र रिड़मल दिनेश पुत्र रिड़मल	1 / 4 1 / 4 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 20 1 / 20	बेरीगांव	229	0.2883 है0	बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested

तारी पुत्री रिड़मल खुशबु पुत्री रिड़मल टीपू पत्नी रिड़मल जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1/20 1/20 1/20				
कुल किता 01 रकबा 0.2883 है0					
धनाराम पुत्र रूपाराम चिमनाराम पुत्र रूपाराम फूसाराम पुत्र रूपाराम गोरखाराम पुत्र गिरधारीराम वालाराम पुत्र गिरधारीराम भीमाराम पुत्र गिरधारीराम ओमाराम पुत्र गिरधारीराम रम्भा पत्नी गिरधारीराम जस्सी पुत्री तगाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/24 1/24 1/24 1/24 1/24 1/24	बेरीगांव	229	0.2307 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2307 है0					
दलाराम पुत्र आसुराम पेमाराम पुत्र आसुराम जाति गुरूड़ा सा0 देह खातेदार	1/3 1/3 1/3	बेरीगांव	229	1.1533 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.1533 है0					
विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 के ग्राम बेरीगांव में खसरा संख्या 129 रकबा 4.3301 है0 (जो प्रारम्भिक डिक्री में उल्लेखित) खसरा संख्या 229 रकबा 2.3067 है0, 126 रकबा 0.0486 है0 व 127 रकबा 0.0324 है0 (जो प्रारम्भिक डिक्री में उल्लेख नहीं परन्तु विभाजन में शामिल किया गया है) कुल चार खसरा हैं।					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:14 IST
Reason: SelfAttested